

23.7.24

पत्रावली आज पेश हुई।

प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।

आज अदालत समय में रूक-रूक कर तीन बार बार आवाजे दिलवाये जाने के बावजूद प्रार्थी एवं उनके वकील में से कोई उपस्थित नहीं हुए।

अदालत उठने से पूर्व एक बार पुनः आवाज लगाई गई। फिर भी इनमें से कोई हाजिर नहीं हुए। इससे जाहीर होता है कि प्रार्थी एवं उनके वकील इस प्रकरण में कोई रूची नहीं ले रहे हैं।

अतः राजस्व आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के तहत वाद एवं प्रतिवाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तार हो।

उपखण्ड अधिकारी
धारीमन्ना, बाख्तर

